म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स किसान भवन भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/लेखा/बजट/ /2020–21/696 भोपाल दिनांक 13/01/20

प्रति,

संयुक्त संचालक/ उप संचालक/कार्यपालन यंत्री,
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक/तकनीकी कार्यालय (समस्त)............................... म0प्र0 ।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 का पुनरीक्षित बजट अनुमान एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2020–2021 का बजट प्रस्ताव भेजने बाबत्।

0000000

विषयान्तर्गत लेख है कि म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड का वित्तीय वर्ष 2020–2021 का बजट तैयार किया जाना है। कृपया निर्धारित प्रारूप–एक एवं प्रारूप–दो (आय एवं व्यय से संबंधित) में वर्ष 2019–2020 के पुनरीक्षित अनुमानक एवं 2020–2021 के बजट अनुमानक दिनांक 31.01.2020 तक अनिवार्य रूप से संबंधित निर्वाही सहायक के हस्ते भिजवायें।

उपरोक्तानुसार बजट अनुमानक तैयार करते समय निम्नांकित निर्देशो का अवश्य ध्यान में रखा जावे :–

1. स्वीकृत बजट शीर्षवार (मुख्यशीर्ष, उपशीर्ष एवं लघुशीर्ष) आय एवं व्यय के प्रस्ताव संलग्न प्रारूप–एक एवं प्रारूप–दो में भेजे। किसी भी स्थिति में शीर्षक्रम एवं मद परिवर्तन न किया जावे।
2. वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिये पुनरीक्षित अनुमानक एवं वित्तीय वर्ष 2020–2021 हेतु बजट अनुमान भेजते समय प्रत्येक मद के लिए व्याख्यात्मक टीप भी दी जावें।
3. वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिये प्रस्तावित किए गए पुनरीक्षित अनुमान के आधार पर व्यय उसी स्थिति में किए जावे जब उसके लिए आवंटन एवं सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर ली जावे।
4. वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिये निर्धारित शीर्षो के अलावा आंचलिक कार्यालय, मुख्यालय की किसी भी शाखा द्वारा अन्य नया बजट शीर्ष प्रस्तावित किया जाना हो तो प्रस्ताव पूर्ण औचित्य के साथ सक्षम स्वीकृति का उल्लेख कर अलग से संलग्न किया जावें।
5. अनाज अग्रिम/त्यौहार अग्रिम की मांग करते समय पात्र कर्मचारियों की संख्या अवश्य लिखी जावे। अनाज अग्रिम अधिकतम 4000/– त्यौहार अग्रिम अधिकतम 4000/– के मान से गणना की जावे।
6. वित्तीय वर्ष 20119–2020 के लिये पुनरीक्षित अनुमान करते समय स्वीकृत प्रावधान में से 31.12.2019 तक की व्यय राशि घटाकर शेष प्रावधान को संभावित अनुमान न बताया जाये बल्कि तीन माह हेतु संभावित गणना एवं औचित्यपूर्ण आवश्यकता अनुसार ही पुनरीक्षित प्रावधान बनाया जावें।

7. आवंटित वाहनों से आय में प्रति वाहन 250/- प्रतिमाह के मान से अनुमानित आय का बजट अनुमान बनाया जावें। वाहन मरम्मत मद में अधिकतम 20,000/- प्रति वाहन के मान से उपलब्ध वाहनों का वाहन मरम्मत में अनुमानित प्रावधान रखा जावे।

कृपया उपरोक्तानुसार बजट प्रस्ताव भेजने हेतु समय समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जावें एवं बजट प्रस्ताव लेखापाल के हस्ते से दिनांक 31.01.2020 तक आवश्यक रूप से भिजवायें। साथ ही जानकारी पीडी में भेजें। उक्त कार्य को प्राथमिकता के आधार पर संपन्न किया जावें।

(दिनेश कुमार द्विवेदी)
अपर संचालक(वित्त)
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृष्ठां0क्रमांक/बोर्ड/लेखा/बजट/2020-21/697 भोपाल दिनांक13/01/20
प्रतिलिपि:-

01. अपर संचालक(कार्मिक/प्रशासन/नियमन/योजना), मुख्यालय भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि अपने अधिनस्थ शाखाओं से बजट प्रस्ताव पूर्ण विवरण सहित निर्धारित समयावधि में भिजवाने का कष्ट करें।

02. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि अपने अधिनस्थ शाखाओं से बजट प्रस्ताव पूर्ण विवरण सहित निर्धारित समयावधि में भिजवाने का कष्ट करें।

03. श्री...संयुक्त संचालक, मुख्यालय भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि अपने अधिनस्थ शाखाओं से बजट प्रस्ताव पूर्ण विवरण सहित निर्धारित समयावधि में भिजवाने का कष्ट करें।

04 श्री... उपसंचालक, मुख्यालय भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि अपने अधिनस्थ शाखाओं से बजट प्रस्ताव पूर्ण विवरण सहित निर्धारित समयावधि में भिजवाने का कष्ट करें।

05 कार्यालयीन शाखा- कार्मिक/प्रशासन/वाहन/भण्डार/प्रशिक्षण/कम्प्यूटर/योजना/उर्वरक/लेखा/विधि/ऋण/निर्माण/आडिट/नियमन/प्रांगण/आवक-जावक/वेतन/बोर्ड शुल्क/बोर्ड ऋण-स्वीकृति/चिकित्सा प्रतिपूर्ति/यात्रा भत्ता/जी0पी0एफ0/दूरभाष की ओर भेजकर लेख है कि आय-व्यय का बजट प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 31.01.2020 तक अनिवार्यतः उपलब्ध करावें।

अपर संचालक(वित्त)
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल